सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

पौष 09, गुरूवार, शाके -1943-दिसम्बर 30, 2021
Pausa 09, Thursday , Saka 1943- December 30, 2021

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 30, 2021

जी.एस.आर.392 :-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) की धारा 4-क की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य और कुटुंब पेंशनर (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2010 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य और कुटुंब पेंशनर (चिकित्सा सुविधाएं) (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य और कुटुंब पेंशनर (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2010, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (ग) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (घ) से पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड (ग-क) अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ग-क) "ई-फार्मा स्टोर/ फार्मा स्टोर" से कानफैड/ राजस्थान सहकारी उपभोक्ता संघ, उपभोक्ता थोक भंडार, क्रय-विक्रय सहकारी समिति, जन औषधि केन्द्र द्वारा चलायी जा रही औषध दुकानें या आरजीएचएस में पैनल की गयी ई-फार्मेसी स्टोर की श्रृंखला अभिप्रेत है;";

(ii) खण्ड (च) में, अंत में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति 'और' हटायी जायेगी; और

(iii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान खण्ड (च) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (छ) से पूर्व, निम्नलिखित नये खण्ड (च-क), (च-ख) और (च-ग) अंत:स्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

"(च-क) "निधि" से राजस्थान सरकार स्वास्थ्य स्कीम निधि अभिप्रेत है;

(च-ख) "आरजीएचएस" से राजस्थान सरकार स्वास्थ्य स्कीम अभिप्रेत है;

(च-ग) "आरजीएचएस कार्ड" से राजस्थान सरकार स्वास्थ्य स्कीम के अधीन पेंशनर को जारी किया गया कार्ड अभिप्रेत है; और"

3. नियम 3 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"3. चिकित्सा परिचर्या और उपचार.- किसी भूतपूर्व सदस्य और उसके कुटुंब के सदस्य और कुटुंब पेंशनरों को हेल्थ केयर नेटवर्क प्रोवाइडर (एचसीएनपी) अर्थात् सरकारी अस्पताल, अनुमोदित अस्पताल, लोक निजी भागीदारी व्यवस्था के अधीन अस्पताल, रैफरल अस्पताल में कैशलैस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। तथापि, आपात परिस्थितियों के मामले में, अंतरंग उपचार राज्य के भीतर या बाहर निजी गैर-अनुमोदित/गैर-मान्यताप्राप्त अस्पतालों में भी लिया जा सकेगा और ऐसे उपचार के लिए पुनर्भरण वैसे ही अनुज्ञेय होगा जैसेकि आरजीएचएस पोर्टल के माध्यम से राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 2013 के अधीन राज्य सरकार के सेवक को अनुज्ञेय है। ये चिकित्सा सुविधाएं निम्नलिखित सीमाओं के अध्यधीन होंगी:-

(क) ऐसी एलोपैथिक औषधियां, औषधें, वैक्सीन, सीरा, अन्य थैरोपेटिक सब्सटेन्स जो सरकारी अस्पतालों में सामान्यत: नि:शुल्क उपलब्ध नहीं हैं, बाह्य उपचार की दशा में 20,000/- रुपये प्रतिवर्ष की सीमा तक आरजीएचएस के अधीन मान्यताप्राप्त फार्मा स्टोर/ई-फार्मा स्टोर से लिये जा सकेंगे। यदि सरकारी अस्पतालों में कैशलैस जांच/लैब जांचें उपलब्ध नहीं हैं तो सरकारी अस्पताल से अनुपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात्जांचे (पैथोलोजिकल, बैक्टैरियोलोजिकल, रेडियोलोजिकल और अन्य) 5000/- रुपये प्रतिवर्ष की सीमा तक करवायी जा सकेंगी,: परंतु अंतरंग रोगी को औषध, खर्च सीमा का विचार किये बिना उपलब्ध करवायी जायेंगी।

(ख) यदि सरकारी अस्पताल से अनुपलब्धता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया गया है या सरकारी अस्पताल में प्रभार, यदि कोई हों, संदत्त किये गये हैं तो जांच प्रभारों के लिए दावा, आरजीएचएस पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया के अनुसार आनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा।

(ग) जहां कैशलैस उपचार उपलब्ध है, वहां आरजीएचएस कार्ड धारक को प्रतिपूर्ति अनुज्ञात नहीं की जायेगी। तथापि, गंभीर आपात में और अन्य आपवादिक परिस्थितियों में गैर-अनुमोदित अस्पताल में लिये गये चिकित्सा उपचार के लिए आरजीएचएस कार्ड धारक द्वारा प्रतिपूर्ति ली जा सकेगी। ऐसी परिस्थितियों में, आरजीएचएस पोर्टल के माध्यम से बिल प्रस्तुत करने के पश्चात् ही दावे की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(घ) भूतपूर्व सदस्य और उसका कुटुंब/कुटुंब पेंशनर वैसी ही नि:शुल्क वास-सुविधा और प्रतिपूर्ति का हकदार होगा जैसीकि राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 13 के अधीन राज्य सरकार के वर्ग- 1 अधिकारियों को अनुज्ञेय है।"

4. नियम 4 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**4. नियम 3 के अधीन खर्च सीमा में शिथिलीकरण.**- (1) सचिव, सभी पात्र मामलों में प्रतिवर्ष 1,00,000/- रुपये तक और कैंसर, किडनी फेल होने और गुर्दा (रेनल) रोग के उपचार के संबंध में प्रतिवर्ष 2,00,000/- रुपये की सीमा तक, निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर और मामले में दूसरी चिकित्सीय राय, जहां आवश्यक समझी जाये, अभिप्राप्त करने के पश्चात् नियम 3 में विनिर्दिष्ट औषधों के खर्च की सीमा को आरजीएचएस पोर्टल के माध्यम से बढ़ा सकेगा, अर्थात्:-

1.	सचिव	अध्यक्ष
2.	राजस्थान विधान सभा के सरकारी अस्पताल का चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
3.	वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य-सचिव।

(2) राज्य सरकार, गंभीर और लगातार चलने वाले रोगों के मामले में, सचिव, राजस्थान विधान सभा के द्वारा अग्रेषित किये जाने के पश्चात् आरजीएचएस पोर्टल के माध्यम से और शिथिलीकरण मंजूर कर सकेगी।"

5. नियम 5 का हटाया जाना.- उक्त नियमों का विद्यमान नियम 5 हटाया जायेगा।

6. नियम 6 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**6. भूतपूर्व सदस्यों का आरजीएचएस कार्ड.**- प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य/कुटुंब पेंशनर को आरजीएचएस पोर्टल के माध्यम से आरजीएचएस कार्ड जारी किया जायेगा।"

7. नियम 7 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**7. कैशलैस सुविधा या चिकित्सा पुनर्भरण का दावा करने की प्रक्रिया.**- (1) कैशलैस सुविधा या यदि कैशलैस सुविधा उपलब्ध नहीं करवायी जाती है, तो सरकारी अस्पताल या अनुमोदित अस्पताल में लिये गये उपचार के चिकित्सा पुनर्भरण के लिए दावा करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसीकि आरजीएचएस पोर्टल पर उपबंधित की गयी है:

परंतु गंभीर आपात में गैर-अनुमोदित अस्पताल में लिये गये उपचार में बाहर से क्रय की गयी औषधों के लिए आरजीएचएस कार्ड धारक को आरजीएचएस पोर्टल के माध्यम से पुनर्भरण अनुज्ञेय होगा।"

8. नियम 8 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**8. भूतपूर्व सदस्यों/कुटुंब पेंशनर को नियत चिकित्सा भत्ता.**- जहां कोई भूतपूर्व सदस्य/कुटुंब पेंशनर इन नियमों के अधीन चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का इच्छुक नहीं है और प्रतिमास 300/- रुपये की रकम का नियत चिकित्सा भत्ता लेने का विकल्प देता है, वहां ऐसे भूतपूर्व सदस्य/कुटुंब पेंशनर द्वारा या तो 10 वर्ष के लिए 300/- रुपये ×12 ×10 अर्थात् 36,000 रुपये का आजीवन नियत चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने का या नियत मासिक चिकित्सा भत्ता उपभुक्त करने के लिए आरजीएचएस के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने का विकल्प दिया जा सकेगा। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा। इस नियम के अधीन दिये गये आजीवन नियत चिकित्सा भत्ते की कोई वसूली नहीं की जायेगी। परियोजना

निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य स्कीम, इस संबंध में सचिव, राजस्थान विधान सभा से प्रस्ताव प्राप्त करने के पश्चात् आरजीएचएस पोर्टल के माध्यम से संदाय करेगा।"

9. नियम 9 का हटाया जाना.- उक्त नियमों का विद्यमान नियम 9 हटाया जायेगा।

10. नियम 10 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 10 के विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) राज्य सरकार, औषधों के कैशलैस प्रदाय के लिए फार्मा स्टोर/ई-फार्मा स्टोर का पैनल बना सकेगी।"

11. नियम 11 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"11. फार्मा स्टोर/ई-फार्मा स्टोर के माध्यम से औषधों का प्रदाय.- आरजीएचएस कार्ड धारक, आरजीएचएस पोर्टल में यथाअधिकथित प्रक्रिया के अनुसार फार्मा स्टोर/ ई-फार्मा स्टोर के माध्यम से औषधों का प्रदाय प्राप्त करेगा।"

12. नियम 13 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"13. आरजीएचएस कार्ड का दुरुपयोग.- (1) ऐसे मामलों में, जहां यह पाया जाता है कि किसी भूतपूर्व सदस्य/कुटुंब पेंशनर ने आरजीएचएस के अधीन अनुज्ञात रियायतों में से किसी का दुरुपयोग किया गया है तो उसे आरजीएचएस के अधीन रियायतों का उपभोग करने से स्थायी रूप से विवर्जित कर दिया जायेगा।

(2) यदि राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि किसी भूतपूर्व सदस्य/कुटुंब पेंशनर ने इन नियमों के अधीन अनुज्ञात रियायत का दुरुपयोग किया है तो वह उप-नियम (1) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम होगा।"

13. नये नियम 14क और 14ख का अंत:स्थापन.- विद्यमान नियम 14 के पश्चात् और विद्यमान नियम 15 से पूर्व, निम्नलिखित नये नियम 14क और 14ख अंत:स्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

"14क. संक्रमणकालीन उपबंध.- इन नियमों में अं तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब तक कि आरजीएचएस कार्ड जारी नहीं कर दिये जायें या आरजीएचएस पूर्ण रूप से चालू न हो जाये, तब तक भूतपूर्व सदस्य/कुटुंब पेंशनर को चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध कराने के लिए, राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य और कुटुंब पेंशनर (चिकित्सा सुविधा) (संशोधन) नियम, 2021 के प्रारंभ से पूर्व यथा विद्यमान राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य और कुटुंब पेंशनर (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2010 के उपबंध लागू होंगे।

14ख. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- यदि आरजीएचएस के क्रियान्वयन के कारण इन नियमों के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाई के निराकरण के लिए, आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उसे आवश्यक प्रती त हों।"

14. प्ररूप-1, प्ररूप-2, प्ररूप-3, प्ररूप-4 और प्ररूप-5 का हटाया जाना.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप-1, प्ररूप-2, प्ररूप-3, प्ररूप-4 और प्ररूप-5 हटाये जायेंगे।

[सं. 7(1)संसद/2021]
राज्यपाल के आदेश से,
प्रवीर भटनागर,
प्रमुख शासन सचिव।

Parliamentary Affairs Department
Notification
Jaipur, December 30, 2021

G.S.R.392 -In exercise of the powers conferred by section 11 read with sub-section (2) of section 4-A of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members and Family Pensioners (Medical Facilities) Rules, 2010, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members and Family Pensioners (Medical Facilities) (Amendment) Rules, 2021.
(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 2.- In rule 2 of the Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members and Family Pensioners (Medical Facilities) Rules, 2010, hereinafter referred to as the said rules,-

(i) after the existing (c) and before the existing clause (d), the following new clause (c-a) shall be inserted, namely:-
"(c-a) "e-Pharma stores/Pharma stores" means the medicine shops run by the CONFED/ Rajasthan Sahkari Upbhokta Sangh, Ubhokta wholesale Bhandar, Kraya Vikraya Sahkari Samiti, Jan Ausadhi Kendra or chain of e-pharmacy stores empanelled in the RGHS;";

(ii) in clause (f), the existing expression 'and', appearing at the end shall be deleted; and

(iii) after the existing clause (f), so amended and before the existing clause (g), the following new clause (f-a), (f-b) and (f-c) shall be inserted, namely:-
"(f-a) "Fund" means the Rajasthan Government Health Scheme Fund;
(f-b) "RGHS" means the Rajasthan Government Health Scheme;
(f-c) "RGHS Card" means card issued to the pensioner under the Rajasthan Government Health Scheme; and"

3. Substitution of rule 3.- The existing rule 3 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"**3. Medical Attendance and Treatment.-** An ex-member and his family and family pensioners shall be provided cashless medical facilities at Health Care Network Provider (HCNP) i.e. Government hospitals, Approved Hospitals, Hospitals under Public Private Partnership arrangement, Referral Hospitals. However, indoor treatment can also be taken in a private unapproved/ unrecognized hospital within or outside the State in case of emergent circumstances and reimbursement for such treatment shall be admissible as are admissible to State Government servant under the Rajasthan Civil Services (Medical Attendance) Rules, 2013 through RGHS portal. These medical facilities will be subject to following limits:-

(a) Allopathic drugs, medicines, vaccines, sera, other therapeutic substances not ordinarily available in Government Hospitals free of charge can be taken from pharma store / e-pharma store recognized under the RGHS in case of outdoor treatment upto the cost ceiling of Rs. 20,000/- per annum. The tests (pathological, bacteriological, radiological and other) can be taken upto Rs 5000/- per annum after NAC from Government hospital, if cashless test / lab tests is not available in Government hospitals:

Provided that medicines to the indoor patient shall be made available irrespective of the cost ceiling.

(b) The claim of test charges shall be submitted online through RGHS portal as per procedure, if Non Available Certificate from the Government hospital has been obtained or charges paid in the Government hospital, if any.

(c) No reimbursement will be allowed to RGHS Card holder, where cashless treatment is available. However, reimbursement can be taken by the RGHS Card Holder for medical treatment taken in grave emergency in un-approved hospital and in other exceptional circumstances. In such circumstances, the claim will be reimbursed only after submitting the bills through RGHS Portal.

(d) The Ex-member and his family/ family pensioner shall be entitled for the free accommodation and reimbursement as admissible to class-I officers of the State Government under rule 13 of the Rajasthan Civil Services (Medical Attendance) Rules, 2013."

4. Substitution of rule 4.- The existing rule 4 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"**4. Relaxation in cost ceiling under rule 3**.- (1) The Secretary may extend the cost ceiling for medicines specified in rule 3 upto Rs. 1,00,000/- per annum in all deserving cases and in respect of treatment of cancer, kidney failure and renal disease upto limit of Rs. 2,00,000/- per annum through RGHS portal on the recommendation of the committee consisting of the following and after obtaining second medical opinion where it is felt necessary, namely:-

1. Secretary	President
2. Medical Officer of the Government Hospital of the Rajasthan Vidhan Sabha	Member
3. Financial Adviser / Chief Accounts Officer / Senior Accounts Officer	Member Secretary.

(2) The State Government may grant further relaxation in cases of severe and persistent diseases through RGHS portal after being forwarded by the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly."

5. Deletion of rule 5.- The existing rule 5 of the said rules shall be deleted.

6. Substitution of rule 6.- The existing rule 6 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"6. Ex-Member's RGHS Card.- The RGHS card shall be issued to every Ex-Members / family pensioners through RGHS portal."

7. Substitution of rule 7.- The existing rule 7 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"7. Procedure for claiming cashless facility or Medical reimbursement.- (1) Procedure for claiming cashless facility or medical reimbursement for the treatment taken in Government Hospital and Approved Hospitals, if cashless facility is not provided, will be such as provided in the RGHS portal:

Provided that in grave emergency treatment taken in un approved hospital reimbursement will be admissible to the RGHS Card holder through RGHS portal for medicines purchased from outside.

8. Substitution of rule 8.- The existing rule 8 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"8. Fixed medical allowance to Ex-Members/family pensioner .- Where an ex-member / family pensioner does not want to avail the medical facility under these rules and opt to take a fix medical allowance amounting to Rs 300/- per month an option may be given by such Ex-member / family pensioner either to get fixed medical allowance for 10 years @ Rs 300/- x 12 x 10 i.e. Rs 36,000/- as life time fix allowance or to get registered under the RGHS for availing the fixed monthly medical allowance. The option once given shall be final. No recovery shall be made from life time fixed medical allowance given under this rule. The Project Director, Rajasthan Government Health Scheme shall make payment through RGHS Portal after receiving proposal from the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly in this regard."

9. Deletion of rule 9.- The existing rule 9 of the said rules shall be deleted.

10. Amendment of rule 10.- The existing sub-rule (2) of rule 10 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"(2) The State Government may empanel pharma stores/ e-pharma stores for cashless supply of medicine."

11. Substitution of rule 11.- The existing rule 11 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"**11. Supply of medicines through pharma stores / e-pharma stores.-** The RGHS card holder shall get supply of medicines through pharma stores / e-pharma stores as per procedure laid down in RGHS portal.

12. Substitution of rule 13.- The existing rule 13 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"**13. Misuse of RGHS Card.-** (1) In cases where it is found that a ex-member /Family Pensioner has misused any of the concessions allowed under the RGHS, he shall be permanently debarred from availing of the concessions under the RGHS.

(2) If the Speaker of Rajasthan Legislative Assembly is satisfied that an ex-member/Family Pensioner has misused the concession allowed under these rules then he shall be competent to pass an order under sub-rule (1)."

13. Insertion of new rule 14A and 14B.- After the existing rule 14 and before the existing rule 15, the following new rule 14A and 14B shall be inserted, namely:-

"14A. Transitional provision.- Notwithstanding any thing contained in these rules, until the RGHS Cards are issued or RGHS becomes fully operational, the provisions of the Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members and Family Pensioners (Medical Facilities) Rules, 2010, as exists prior to commencement of the Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members and Family Pensioners (Medical Facilities) (Amendment) Rules, 2021 shall apply to provide the Medical Attendance to a Ex-Member/Family Pensioner.

14B. Power to remove difficulties.- If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these rules due to implementation of the RGHS, the State Government may, by order, make such provisions as may appear to it necessary for removing such difficulty."

14. Deletion of Form-1, Form-2, Form-3, Form-4 and Form-5.- The existing Form-1, Form-2, Form-3, Form-4 and Form-5 appended to the said rules shall be deleted.

[No. 7(1)Sansad/2021]
By order of the Governor,
Praveer Bhatnagar,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.